

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
खूँटी।

राँची, दिनांक- 03-06-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-01-अवर प्रमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु देशीय यात्रा भत्ता इकाई में कुल ₹1,16,000/- (एक लाख सोलह हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-193 (ii)/स्था0, दिनांक-03.05.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशीय यात्रा भत्ता इकाई में कुल ₹1,16,000/- (एक लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिलों के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड-KHNDADK 01 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.पी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
27/5

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/स्थापना व्यय आ0-17/2025 27/3/10 राँची, दिनांक-03-06-2025
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
27/5/10

सरकार के सचिव।